रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 1976/चैत्र 5, 1898
No. 149] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 1976/CHAITRA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th March 1976

S.O. 237(E).—15/IDRA/76.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs Clyde Fan Company Private Limited, Calcutta, is engaged in the scheduled industries, namely, electrical fan industry and motor industry;

And whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri A. N. Mukherjee, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Member

2. Shri N. Ray, Deputy Secretary, Department of Closed and Sick Industries, Government of West Bengal, Calcutta.

2. The above body shall submit its report within a period of five weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. F. 2(3)/75-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1976

का० आ० 237 (अ)/15 आई० डी० आर० ए०/75.— क्लायड फैन कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम, अनुसूचित उद्योग अर्थात विद्युत पंखा उद्योग और मोटर उद्योग में लगा है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है जो विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हु एन्यायोचित नहीं है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मामले की परिस्थितियों का समस्त और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री ए० एन मुकर्जी,
   औद्योगिक सलाहकार,
   तकनीकी विकास महानिदेशालय,
   नई दिल्ली।

सदस्य

2. श्री एन० रे
   उप सचिव,
   बंद और रुग्ण उदयोग विभाग,
   पश्चिमी बंगाल सरकार,
   कलकत्ता।

2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[सं० फा० 2 (3)/75-सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, सयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976